राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2015/20030 दिनांकः– 18/5/2015

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा आमजन को निर्धारित समय पर जन्म/मृत्यु एवं विवाह के उद्धरण/प्रमाण पत्र जारी नही किये जा रहे है, जबकि रजिस्ट्रार का कर्तव्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते ही शीघ्रताशीघ्र जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना है। आपको विदित है कि जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण तब तक अपूर्ण है जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास उद्धरण/प्रमाण पत्र न पहुँच जाये।

अतः समस्त जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र को निम्नांकित समयावधि में सम्बन्धित व्यक्ति को जारी किया जाना सुनिश्चित करेगें। रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करने होंगे और वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह ऐसा करने के लिये अधिकृत नहीं कर सकेगा।

क्र.सं.		नवीन	पुराना
1	प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन करने पर उसी तिथि को (रिकॉर्ड अनुसार)	आवेदन करने के 3 दिन पश्चात (रिकॉर्ड अनुसार)
2	प्रमाण पत्र में नाम जुडवाना	आवेदन करने पर उसी तिथि को (रिकॉर्ड अनुसार)	आवेदन करने के 3 दिन पश्चात (रिकॉर्ड अनुसार)
3	प्रमाण पत्र में शुद्धि करना	आवेदन करने पश्चात 2 दिवस में (रिकॉर्ड अनुसार)	आवेदन करने पश्चात 3 दिवस में (रिकॉर्ड अनुसार)

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/20031-569 दिनांकः – 18/6/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर ....।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम ....।
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला ....।
4. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति........................जिला............।
5. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म–मृत्यु), पंचायत समिति......................... जिला..................................।

उप निदेशक (जीवनांक)